भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2349
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने की उच्च दर

†2349. श्री धर्मबीर सिंहः
श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा बड़ी संख्या में बीच में पढ़ाई छोड़ देने (ड्रॉपआउट) की दरों के लिए पहचाने गए विशिष्ट कारणों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ड्रॉपआउट के कारणों के रूप में गरीबी, अवसंरचना का अभाव या डिजिटल अंतर जैसे मुद्दों के समाधान के लिए उपाय शुरू किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में, विशेषकर भिवानी-महेंद्रगढ़ और इसी प्रकार के जिलों में छात्रों के ड्रॉपआउट को रोकने के लिए सामुदायिक ट्रैकिंग सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-आधारित अलर्ट शुरू करने की कोई योजना है; और
(घ) क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ड्रॉपआउट दर की जांच करने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचाने गए स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारणों में प्रवासन, परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चों पर घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों की रुचि की कमी, बच्चों का खराब स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19

में स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक का पूरा दायरा शामिल है। इस योजना को एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ भी जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न कार्यकलापों जैसे अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए सहायता, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान करती है।

ड्रॉपआउट को कम करने के लिए इस योजना में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना और उन्हें सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन; नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना; मुफ्त यूनिफार्म, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाना, असंतृप्त एसटी आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटक, शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ करना और डीआईईटी/बीआरसी/सीआरसी को मजबूत करना, आईसीटी और डिजिटल उपाय का प्रावधान शामिल है।

सरकार ने ड्रॉपआउट और अन्य शिक्षा संकेतकों की निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) और स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) आईडी के कार्यान्वयन जैसी पहल भी की हैं। वीएसके को शैक्षिक पहलों और उनके अंतिम परिणामों की निगरानी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई कार्यनीतियों के साथ तैयार किया गया है। वीएसके की एक प्रमुख विशेषता स्कूल छोड़ने वाले छात्रों पर नज़र रखना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने वाले छात्रों की निगरानी, अधिगम परिणामों की प्रगति और विभिन्न उपायों की वास्तविक समय पर निगरानी है, जिसका उद्देश्य पहुँच में सुधार, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाना है। 'एक राष्ट्र, एक छात्र पहचान पत्र' कार्यक्रम के तहत, एपीएएआर

एक 12 अंकों की आजीवन छात्र पहचान पत्र है जो आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक सहमतिपूर्ण ढाँचे के तहत आधार से जुड़ा होता है।

बजट 2025-26 में, सरकार ने 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की घोषणा की है। इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य एआई-संचालित शैक्षिक उपकरणों में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है, ताकि देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सतत, समावेशी और समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

समग्र शिक्षा योजना के तहत शहरी वंचित बच्चों, समय-समय पर पलायन से प्रभावित बच्चों और दूरदराज और बिखरी बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस योजना के तहत, उपाय की योजना बनाते समय विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी), शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईईबी), वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-अनुरूप प्रवेश और आवासीय तथा गैर-आवासीय बड़े बच्चों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा के दायरे में लाने के लिए मौसमी छात्रावासों या आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और परिवहन/अनुरक्षण सुविधाओं का प्रावधान भी उपलब्ध है।

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित 16-19 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 2000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

योजना के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान किया जाता है।

समीक्षा बैठकों, राष्ट्रीय कार्यशालाओं और निदेशों आदि में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर और स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की संख्या

कम करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री स्तर पर संवाद के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे स्कूल प्रबंधन समितियों की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के साथ "बच्चों को स्कूल वापस लाएँ" अभियान में भाग लें।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कूल छोड़ने की घटनाओं को रोकने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं, जो स्कूल छोड़ने के लिए ज़िम्मेदार विभिन्न कारकों के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों या समुदायों के लिए विशिष्ट हैं। स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों में बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की उपलब्धता, ताकि ड्रॉपआउट कम किया जा सके और बच्चों की संख्या बनी रहे, का आकलन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रति वर्ष उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर क्रमिक आधार पर किया जाता है और यह उनकी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडबल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होता है। शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ चलाने के लिए हरियाणा सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने संदर्भ वर्ष 2018-2019 से एक प्रबंधन सूचना प्रणाली, यूडाइज़, विकसित की है। स्कूल डेटा संग्रह तंत्र में और क्रांतिकारी बदलाव लाने, अधिगम परिणामों की निगरानी और स्कूल छोड़ चुके छात्रों पर नज़र रखने के लिए, वर्ष 2022-2023 से, यूडाइज़+ को पुनः शुरू किया गया ताकि व्यक्तिगत छात्र-वार डेटा एकत्र किया जा सके। इसी प्रकार, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत शिक्षक-वार डेटा भी एकत्र और अनुरक्षित किया जा रहा है। इस विभाग ने यूडाइज़+ 2023-2024 रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करा दी है और इसे "https://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications" पर देखा जा सकता है।

****